न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 06/2017

बउनवान

राकेश पुत्र छीतर जाति–गूजर निवासी–रारोती तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 04.10.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रारोती, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 120/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का एक मकान उक्त भूमि पर कुछ हिस्से पर बरसों से बना हुआ है तथा शेष भूमि खाली पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी के कुछ हिस्से पर हीं वर्षो से उसका मकान बना हुआ है, शेष भूमि मौके पर

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

खाली है उसका अतिक्रमण नहीं है। उसके विरूद्व हल्का पटवारी द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। ना तो मौके की जॉच की ना हीं स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य ली गयी। उक्त निर्णय पूर्ण धारणा बनाकर, स्लाईलोस्टाईल प्रफोर्मा पर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 779/14 निर्णय दिनांक 03.11.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी ख0नं0 325 रकबा 0.24 है0 पर अपीलांट ने कच्चा मकान बना रखा है जो अपीलांट ने अपने कथनों में स्वीकार किया है। चूकि विवादित आराजी चारागाह है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं नितार्थ भूमि है जिसपर अपीलांट को अतिचार करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 779/14 निर्णय दिनांक 3.11.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है, इससे अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण सिद्व होता है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्व प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं बेदखली व सजायाब के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)